45

समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, जबलपुर

रा.प्र.क्र. सन् 2015

आवेदक – मंगल सिंह गौंड़, आयु 62 वर्ष, पिता रामसिंह गौड़, निवासी–ग्राम लुहारी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर ।

विरूद्ध

अनावेदक – मध्य प्रदेश शासन

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र.384/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 03–08–2015 एवं श्रीमान एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 522/अ–21/2014–15 से परिवेदित होकर आवेदक निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :–

तथ्य

1– यह कि, आवेदक के नाम मौजा रानीताल, न.ब. 401, प.ह.नं. 44, तहसील पाटन में खसरा नं. 15, रकवा 0.310 हे., ग्राम लुहारी, प.ह.नं. 41, तहसील पाटन, में खसरा नं. 263, रकवा 0.210 हे., खसरा नं. 439/3, रकवा 0.800 हे., खसरा नं. 439/4, रकवा 0.330 हे, योग 1.340 हे., ग्राम नंदना, प.ह. नं. 76, रा.नि.मं. महराजपुर, तहसील पनागर में खसरा नं. 101, रकवा 0.510 हे., खसरा नं. 133, रकवा 0.410 हे. योग 0.920 हे. ग्राम इमलई, प.ह.नं. 30, रा.नि.मं. पनागर, तहसील पनागर में खसरा नं. 1205, रकवा 0.680 हे., ख.नं. 1248, रकवा 0.130 हे., ख.नं. 1249, रकवा 0.340 हे., ख.नं. 1252, रकवा 0.450 हे., योग 1.600 हे. इस प्रकार कुल 4.170 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है । जिसका वह भूमि स्वामी व मालिक काबिज है ।

2– यह कि, आवेदक की भूमि चार ग्रामों में स्थित है, जिससे उसे कृषि कार्य करने में बहुत असुविधा होती है । समय पर कृषि कार्य पूर्ण न होने के कारण उसे पर्याप्त आय नहीं होती है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1797/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-6-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 384/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि मौजा रानीताल नं.ब.401 प.ह.न.44 तहसील पाटन में खसरा नं. 15 रकवा 0.310 है0 एवं ग्राम लुहारी, प.ह.न. 41 तहसील पाटन खसरा न. 263 रकवा 0.210 है0, खसरा नं.439/3 रकवा 0.800 है0 खसरा नं. 439/4 रकवा 0.330 है0 योग 1.340 है0 ग्राम नदंना प.ह.न. 76, रा.नि.म. महराजपुर, तहसील पनागर में खसरा नं. 101, रकवा 0. 510 है0, खसरा नं. 133 रकवा 0.410 है0 योग 0.920 है0 ग्राम इमलई प.ह.न. 30 रा. नि.म. पनागर तहसील पनागर में खसरा नं. 1205 रकवा 0.680 है0, खसरा 1248	

रकवा 0.130 है0 खसरा नं. 1249 रकवा 0.340 है0 खसरा नं. 1252 रकवा 0.450 है0 योग 1.600 है0 इस प्रकार कुल 4.170 है0 भूमि के मालिक काबिज भूमि स्वामी हूँ तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज है। जिसे राजकुमार कुंगानी निवासी मकान नं. 1361, 1333 कचनार सिटी रोड विजय नगर जबलपुर को विक्रय करना चाहता है। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास 2.730 है0 भूमि मौजा लुहारी, नंदना एवं ग्राम इमलई में शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 384/अ–21/2013–14 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 03.08.2015 पारित कर आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। जिसके विरूद्ध एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रकरण क्रमांक 522/अ–21/2014–15 प्रस्तुत की गयी है जिसमें आज दिनांक तक आदेश पारित नहीं किया। जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर

उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 03.08.2015 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पद सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया, अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 03.08.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति

एवं बैक ऋण पटाने तथा कृषि उपकरण परिवार के निवास हेतु निर्माण करने हेतु पारिवारिक आवश्यकतों की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 29.09.2014 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 2.730 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी

अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5– प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व–अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7–ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर राजकुमार कुंगानी के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी

	स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 384/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम रानीताल स्थित भूमि खसरा नं.15 रकवा 0.310 है0 एवं ग्राम लुहारी में स्थित भूमि खसरा नं.439/3 रकवा 0.800 है0 एवं खसरा नं. 439/4 रकवा 0.330 है0 कुल योग 1.440 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है। सदस्य	